

मध्यप्रदेश शासन कार्यालय संचालक वाष्पयंत्र

कवा.नं. 03 एवं 04, टाइप-IV, बी-सेक्टर, पिपलानी, भेल
भोपाल मध्यप्रदेश-462021 फोन - 0755-2757384, 2502528

विज्ञापन

बायलर संचालनालय के अंतर्गत भूय पदों को भरने हेतु मध्यप्रदेश के मूल निवासी योग्यताधारी उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। यह पद चतुर्थ श्रेणी का है। यह पद पूर्णतः अस्थायी है एवं स्थानांतरणीय है एवं भविष्य में स्थायी पद रिक्त होने पर ही स्थायी किया जावेगा। इस पद पर नियुक्त कर्मचारी कर्तव्यों को सट किया जाता है कि कार्यालय की साफ-सफाई, जलपान की व्यवस्था, नस्ती का हस्तान्तरण, डाक लाने एवं ले जाने की व्यवस्था, कार्यालय बंद करने एवं खोलने का कार्य मुख्य है। अन्य कार्यालयीन कार्य जो कि संचालक बायलर द्वारा समय-समय पर आदेशित किया जावें।

1. भरे जाने वाले पदों का विवरण एवं आरक्षण निम्नानुसार है :-

पदनाम	वेतनमान (सातवें वेतनमान अनुसार)	रिक्त पदों का विवरण	
		अन्य पिछड़ा वर्ग	निःशक्तजन श्रवण बाधित
भूय	15500-49000 (लेवल-1)	01	01

2. शैक्षणिक योग्यता - संभागीय पूर्व माध्यमिक परीक्षा अथवा मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

3. निरर्हता -

(एक) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन अभिप्राय करने हेतु किसी भी साधन से किया गया कोई भी प्रयास समिति द्वारा उसे परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जाएगा।

(दो) कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित होगा।

(तीन) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो सेवा के लिए निरर्हित होगा।

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो जिसमें दो या दो से अधिक जीवित संतान का जन्म होता है किसी सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

(चार) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धोष ठहराया गया हो सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित होगा, परन्तु जहां अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में मामला लंबित है, वहां उसकी नियुक्ति आपराधिक प्रकरण में अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखी जाएगी।

4. आयु सीमा 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष से कम व 40 वर्ष से अधिक नहीं हो।

विभिन्न वर्गों के लिये अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार रहेगी -

1.	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/निःशक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए	45 वर्ष

5. सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. मूल निवासी - मध्यप्रदेश।

7. पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण नियत है तथा इस पद के कर्तव्यों को ऊपर स्पष्ट किया गया है। अतः 8वीं से ज्यादा योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को कोई वरीयता नहीं दी जावेगी।

8. सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

9. परिचीक्षा : सेवा में सीधे भरती किया गया प्रत्येक व्यक्ति तीन वर्षों की कालावधि के लिए परिचीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। परिचीक्षा कालावधि के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के अनुसार वृत्तिका देय होगी।

आवेदन पत्र भरने एवं प्रेषित करने के निर्देश -

(1) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में स्पष्ट अक्षरों में भरा जावे। आवेदन पत्र में कांट-छांट मान्य नहीं होगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

(2) आवेदन पत्र के साथ आठवीं उत्तीर्ण की अंकसूची की प्रति मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रति, जो स्वयं के द्वारा सत्यापित हो तीन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसमें पूछ भाग पर आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम तथा दिनांक अंकित हो। (एक छोटे लिफाफे में रखकर) तथा तीन स्वयं के पता लिखे लिफाफे (साइज 9"x4") जो पंजीकृत डाक से संचालक बायलर कवा.नं. 03 एवं 04, टाइप-IV, बी-सेक्टर, पिपलानी, भेल, भोपाल मध्यप्रदेश-462021 के पते पर दिनांक 06.07.2024 को 2.00 बजे के पूर्व पहुंच जाना चाहिए।

(3) निःशक्तजन (श्रवणबाधित) के आवेदकों द्वारा चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी निःशक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करें।

आवेदन निम्न कारणों से निरस्त कर दिया जावेगा।

(1) निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र।

(2) आवेदन पत्र में कांट-छांट या ओवर राइटिंग होने पर।

(3) आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज में से किसी एक का न होने एवं निर्देशानुसार यथा-स्थान न भरने, हस्ताक्षर व दिनांक अंकित न होने पर।

(4) शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र, निवास की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न न होने पर।

(5) निःशक्तजन (श्रवण बाधित) के आवेदकों द्वारा चिकित्सा बोर्ड से निर्धारित प्रारूप में जारी निःशक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न न होने पर।

नोट :- आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट www.db.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

जी-11633/49680/2024

संचालक बायलर (म.प्र.) भोपाल